

भारत स्काउट एवं गाइड मध्यप्रदेश

राज्य मुख्यालय

शांति मार्ग, श्यामला हिल्स, भोपाल म.प्र.

Website: bsgmp.net E_mail: Scoutguide_bpl@dataone.in/bsgmadhyapradesh@gmail.com Phone: 2737446, 2661263

क्रमांक/ 6299 /रा.मु./नि./2012

भोपाल, दिनांक 01-12-12

प्रति,

समस्त सम्माननीय आजीवन सदस्य,
भारत स्काउट एवं गाइड मध्यप्रदेश
राज्य संघ ।

यह अधिसूचना प्रकाशित की जा रही है कि राज्य कार्यकारिणी की बैठक दिनांक 01.12.2012 एवं ए.पी.आर.ओ. रूल्स बुक के संस्करण जो 18.10.2005 को राष्ट्रीय परिषद द्वारा अनुमोदित है के चैप्टर 03 स्टेट एसोसिएशन की धारा 45 (25) के अन्तर्गत राज्य परिषद के लिए आजीवन सदस्यों को अपने संवर्ग में चुने हुए प्रतिनिधि भेजने हेतु निर्वाचन किया जाना है । इस कार्य के लिए राज्य संघ के आजीवन सदस्यों द्वारा मतदान दिनांक 13.12.2012 वार-गुरुवार प्रातः 11.00 बजे से सायंकाल 03.00 बजे तक राज्य मुख्यालय, भारत स्काउट एवं गाइड मध्यप्रदेश, राज्य परिवहन नगर बस डिपो के पास, श्यामला हिल्स, भोपाल में होगा ।

चैप्टर 03 स्टेट एसोसिएशन की धारा 45 (25) के अनुसार 10 प्रतिनिधि पर 01 सदस्य किंतु अधिकतम 10 सदस्य का चुनाव करना है जिसमें कम से कम एक महिला प्रतिनिधि आवश्यक होगी ।

इस चुनाव का तिथिवार कार्यक्रम इस प्रकार है


1. संलग्न निर्धारित नामांकन पत्र राज्य मुख्यालय में प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि-07.12.2012 दिन शुक्रवार समय अपरान्ह 02.00 बजे तक ।
2. नामांकन प्रपत्रों की जाँच दिनांक 07.12.2012 दिन शुक्रवार । अपरान्ह 02.00 बजे से 03.00 बजे तक
3. वैध नामांकन प्रकाशित करने की तिथि 07.12.2012 दिन शुक्रवार । सांय. 05.00 बजे जाँच के पश्चात् ।
4. नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 10.12.2012 दिन सोमवार दोपहर. 03.00 बजे तक ।
5. चुनाव यदि आवश्यक हुआ तो मतदान की तिथि 13.12.2012 दिन गुरुवार समय प्रातः 11.00 बजे से सायं 03.00 बजे तक ।

दिनांक 13.12.2012 वार-गुरुवार को मतदान स्थल राज्य मुख्यालय, भोपाल रहेगा तथा परिणाम मतदान के तुरंत पश्चात् मतगणना कर घोषित कर दिया जावेगा ।

नामांकन निर्धारित प्रपत्र में ही भरकर भेजे जावे । नामांकन पत्र रजिस्टर्ड डाक से अथवा व्यक्तिगत रूप से जिसमें लिफाफे के ऊपर "नामांकन पत्र आजीवन सदस्य प्रतिनिधि" लिख कर भेजा जाना आवश्यक है । डाक में खोए या विलंब से प्राप्त हुए नामांकन पत्रों का दायित्व इस कार्यालय का नहीं होगा । नामांकन लिफाफे राज्य सचिव एवं निर्वाचन अधिकारी, भारत स्काउट एवं गाइड मध्यप्रदेश, राज्य मुख्यालय, राज्य परिवहन नगर डिपो के पास, श्यामला हिल्स रोड, भोपाल के नाम से भेजे जावें । व्यक्तिगत नामांकन पत्र का लिफाफा देने की स्थिति में रसीद प्राप्त करना स्वयं का उत्तरदायित्व होगा । वैध नामांकन पत्रों की सूची कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जावेगी । इसके लिये अलग से पत्र व्यवहार नहीं किया जावेगा एवं मतदान के समय मतपत्र प्राप्त करने हेतु राज्य मुख्यालय द्वारा जारी परिचय पत्र दिखाना आवश्यक होगा । अतः यदि किसी के पास परिचय पत्र नहीं है तो वह राज्य मुख्यालय में तुरंत दो थंब साईज फोटो भेजकर निःशुल्क परिचय पत्र प्राप्त कर लें । यह सदस्य का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व होगा । व्यक्तिशः मतदाता सूची रूपया 50/- शुल्क अदा कर निर्वाचन अधिकारी से प्राप्त की जा सकती है ।

नोट :-सदस्यता सूची अवलोकन हेतु-

कार्यालयीन पटल पर चस्पा है ।


(जी. आर. शर्मा)
निर्वाचन अधिकारी
एवं
राज्य सचिव